भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3344
दिनांक 12 मार्च, 2026

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के संबंध में डीलरशिप पुनर्गठन नीति के उपबंध

3344. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के मालिक/साझेदार द्वारा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के जीवनसाथी को डीलरशिप में साझेदार बनाए जाने पर जीवनसाथी का हिस्सा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की संयुक्त पुनर्गठन नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के हिस्से के रूप में माना जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस नीति का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो वर्तमान में डीलरशिप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के मालिक/साझेदार हैं और अपने गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के जीवनसाथी को साझेदार बनाते हैं, या क्या यह उन मामलों में भी उपलब्ध है जहां कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का नया आवेदक अपने गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जीवनसाथी को साझेदार बनाने के लिए आवेदन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त नीति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के नए आवेदकों पर लागू नहीं होती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में नीति में संशोधन करने की कोई प्रक्रिया चल रही है और यदि हां, तो यह कब तक होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और नीति के मूल उद्देश्य के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया को नीति में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की संयुक्त पुनर्गठन नीति के अनुसार, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामी/ भागीदार के गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जीवनसाथी को भागीदार के रूप में शामिल किया जाता है तो डीलरशिप में उनके हिस्से को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिस्से के रूप में ही गिना जाएगा।

(ख) और (ग) इस नीति का लाभ केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो वर्तमान में किसी डीलरशिप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामी/ भागीदार हैं और अपने गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जीवनसाथी को भागीदार के रूप में शामिल करते हैं। यह लाभ पहली बार में किसी नए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक को नहीं मिलता है जो अपने गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जीवनसाथी को एक साथ भागीदार के रूप में शामिल करना चाहता है। नए भागीदार (भागीदारों) को शामिल करने वाले पुनर्गठन की स्थिति में, प्रत्येक नए भागीदार को श्रेणी सहित पात्रता मानदंडों को व्यक्तिगत रूप से पूरा करना होगा।

(घ) वर्तमान में, पुनर्गठन नीति में संशोधन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज द्वारा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****